29.12.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

BL

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/687

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:53 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– भरत जयप्रकाश मीना (आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 301/2024 GCMS:- 2024/687 दायरा दिनाकः– 08.11.2024

1. इन्द्राज पुत्र श्री बीरूराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1. हरीराम दुगरिया पुत्र सरदाराराम जाति मेघवाल निवासी फौजुवाला हाल वार्ड 09 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।
2. इन्द्राज मेघवाल पुत्र श्री शिशपाल जाति मेघवाल साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
3. औमप्रकाश पुत्र श्री जगराम जाति मेघवाल साकिन 17 के.एन.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. कुलदीपकौर पत्नी दर्शनसिंह जाति मजहबी साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
5. दर्शन सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह जाति मजहबी साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
6. बाबूराम (फौत) पुत्र सरदाराराम जाति मेघवाल जरिये वारिस :–
   6/1 रामस्वरूप पुत्र बाबूराम जाति मेघवाल साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
   6/2 नैमचन्द पुत्र बाबूराम जाति मेघदाल साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
7. मोमनराम पुत्र मल्लूराम जाति नायक साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
8. विनोद पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :– **1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थी**
**2. श्री अजय सारस्वत अधिवक्ता – अप्रार्थीगण 2 ता 8**
**3. तहसीलदार पैराकार राज**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:53 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 29.12.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षिप्त में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 251 क राज0 काश्तकारी अधि. के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी 8 के रकबा को काश्त करने के लिए अप्रार्थी नं0 01 ता 7 के नाम के खातेदारी रकबा के चक 14 एस.एल.डी. के प0नं0 75/382 किला नं0 13 ता 15 के उतरी पासा में 0.025 –

लगातार पेज न 2.....पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

प्रकरण संख्या 301/24
अनवान :– इन्द्राज बनाम हरीराम आदि

–0.025 हैक् प्रत्येक किला में से पूर्व से पश्चिम व अप्रार्थी नं. 08 के नाम के इसी पत्थर के किला नं. 12 मे से 0.0025 हैक्. (16.5 गुणा 16.5 फुट) उतरी पूर्व कोना पर रास्ता चालू है। यह रास्ता अप्रार्थी नं0 01 से उसके हिस्सा मे की भूमि से उचित प्रतिफल देकर प्राप्त किया हुआ है, इसलिए यह रास्ता स्वीकार कर यह रकबा गैर मुमकीन रास्ता के नाम दर्ज किया जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सूरतगढ से प्रार्थना पत्र के समबंध में जांच कर रिपोर्ट मंगवाई तथा भू. अभिलेख निरीक्षक वृत भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी ने मौका पर पटवारी हल्का के साथ जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में दिनांक 21.10.2024 को मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट मय तहसीलदार रिपोर्ट भेजकर इस रास्ता की आन्तयतिक आवश्यक होना व अन्य वैकल्पिक रास्ता के अभाव की रिपोर्ट तथा यह रास्ता मौका पर चालू होना दर्शाते हुऐ रिर्पोट पेश की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

तहसीलदार सूरतगढ से रिपोर्ट पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी नं0 02 ता 08 ने जैर प्रकरण रास्ता स्वीकार करने में अपनी सहमति दी तथा अप्रार्थी नं0 08 ने अपने खातेदारी रकबा किला नं0 12 के उतरी पूर्वी कोना पर 16.5 गुणा 50 वर्गफुट पूर्व से पश्चिम लम्बाई में 0.0076 हैक् रकबा में रास्ता मंजूर करने का निवेदन किया तथा इस रकबा के बदले प्रार्थी की इसी पत्थर नम्बर के किला नं0 09 के पश्चिमी पासा में 6 फुट गुणा 165 फुट उतर से दक्षिण में रास्ता के बदले रकबा दिया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी नं0 01 बार–बार सम्मनो से तामिल करवाने के बाद भी वो हाजिर नही हुआ इसलिए उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई व पत्रावली मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से व गिरदावर हल्का को रिपोर्ट से यह साबित है कि चक 14 एस.एल.डी. के पं0नं0 75/382 के किला नं0 12 ता 15 के उतरी पासा में 2–2 बिस्वा चौडाई में तथा रास्ता चालू है तथा इस रास्ता के अलावा प्रार्थी को अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को इस रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा अप्रार्थीगण इस रास्ता को स्वीकृत करवाने में अपनी सहमत है तथा उभय पक्ष के कथनो पर किला नं0 13 ता 15 के रासता के बदले पूर्व में प्रतिफल दिया जा चुका है जिसमें अप्रार्थी नं0 01 गैर हाजिर रहकर अपनी मौन स्वीकृति दे रहा है फिर न्यायहित मे उसके हिस्सा के रकबा के बदले उचित प्रतिफल राशी प्रार्थी से जमा करवाकर उसे दिलाना चाहते है। इसलिए हम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जैर प्रकरण रास्ता स्वीकृत करना उचित समझते है।

अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थी नं0 01 ता 07 के नाम के चक 14 एस.एल.डी. के पं0 नं0 75/382 के किला नं0 13 ता 15 के उतरी पासा में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में प्रत्येक किला मे 0.025 – 0.025 हैक्. अनकमाण्ड रकबा मे व अप्रार्थी नं0 08 के नाम के इसी पत्थर के किला नं0 12 के उत्तरी पूर्वी कोना पर 16.5 फुट चौड़ा व 50 फुट लम्बाई में 0.0076 हैक. अनकमाण्ड रकबा में प्रार्थी के रकबा तक पहुॅच मार्ग/गैर मुमकीन रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा दोनों खातों मे से यह रकबा अनकमाण्ड से गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जाने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ को दिया जाता है तथा अप्रार्थी नं0 08 को उक्त रकबा के बदले प्रार्थी के इसी पत्थर नम्बर 75/382 के किला नं0 09 के पश्चिमी पासा मे से 6 फुट चौड़ाई में व 165 फुट लम्बाई मे 0.0076 हैक. रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

लगातार पेज न 3.....पर



दिया जाकर यह रकबा प्रार्थी के नाम से कलमजन कर अप्रार्थी नं0 08 के खाते में खातेदारी दर्ज किया जावे। प्रकरण में अप्रार्थी नं0 02 ता 07 किला नं0 13 ता 15 में से रास्ता बिना प्रतिफल देने में सहमत है परन्तु अप्रार्थी नं0 01 हाजिर नही आया। उसके हितो को सुरक्षा हेतु इन किला नं0 13 ता 15 मे से रास्ता मे आये कुल 0.075 हैक. अनकमाण्ड रकबा की वर्तमान डी.एल.सी. रेट अनुसार तय करके उस राशी का 102/275 हिस्सा राशी ही प्रार्थी तहसीलदार के समक्ष जमा करवायेगा। जिसे अप्रार्थी नं0 01 प्राप्त कर सकेगा। राशि जमा होने पर तहसीलदार स्वीकृत रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करना सुनिश्चित करें।

इस रास्ता के रकबा के निर्णय का राजस्व रिकार्ड मे इन्तकाल पर उभय पक्ष का बैंक ऋण निष्प्रभावी समझा जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:53 IST
Reason: SelfAttested